पत्रांक–4 / प.1–03 / 2018................... /

झारखण्ड सरकार

उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002

संकल्प

विषयः–राँची विश्वविद्यालय, राँची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग को विकसित कर अंतराष्ट्रीय स्तर के उतकृष्ट शिक्षण केन्द्र (Centre of excellence) के रूप में विकसित करने हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अतंर्गत कुडूख, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा एवं पंचपरगनिया भाषा हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति।

झारखण्ड राज्य में कुडूख, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा एवं पंचपरगनिया प्रमुख भाषाएँ है। झारखण्ड क्षेत्र के बहुआयामी सांस्कृतिक विरासत–सामाजिक, सांस्कृतिक भाषायी एवं साहित्यिक विविधापूर्ण विशिष्टता में तथा मानविकी के क्षेत्र में इन जनजातीय भाषाओं का अत्याधिक महत्व है। उपर्युक्त भाषाएँ झारखण्ड के संस्कृति का मूल आधार है। ये सभी भाषाएँ काफी प्राचीन है एवं इनका एक विशिष्ट भाषा विज्ञान है। इन भाषाओं के विकास एवं शोध का अंतराष्ट्रीय महत्व है। ये भाषाएँ मूलतः झारखण्ड में ही विकसित हुई है और बोली जाती है।

अतः यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के अध्ययन, अध्यापन हेतु राज्य में एक अंतराष्ट्रीय स्तर के संस्थान को विकसित किया जाय। इस हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग(TRL) राँची विश्वविद्यालय, राँची को विकसित कर अंतराष्ट्रीय स्तर के उतकृष्ट शिक्षण केन्द्र (Centre of excellence) के रूप में स्थापित हो। इस केन्द्र में इन सभी भाषाओं के शोध एवं स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन हेतु सभी समुचित व्यवस्था की जानी है ताकि इन भाषाओं में स्नातकोत्तर की डिग्री दी जा सके। इस विभाग के शिक्षक शिक्षण कार्य एवं शोध के साथ–साथ झारखण्ड राज्य के जनजातीयों भाषाओं के उत्थान एवं सरंक्षण हेतु कार्य करेंगे। इन सभी भाषाओं में अलग–अलग संबंधित भाषाओं की स्नातकोत्तर एवं शोध संबंधी डिग्री प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

2. आवश्यक संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता हो सके, इस हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग(TRL) के अंतर्गत सभी भाषाओं में प्रोफेसर 01, सह–प्रोफेसर 02 एवं सहायक प्रोफेसर 02 के पद सुनिश्चित किया जाना है।

   बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक–747 दिनांक–21.06.1980 द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग(TRL) के अंतर्गत 01 प्रोफेसर, 02 रीडर(सह–प्राध्यापक) एवं 04 व्याख्याता(सहायक प्राध्यापक) के पद सृजित किये गये है। चूंकि भाषावार पदों का विवरण नहीं किया गया है। अतः प्रोफेसर के 01 पद को मुंडारी, एसोसिएट के 02 पद को क्रमशः कुडूख एवं मुंडारी तथा 04 सहायक प्राध्यापक के पदों को क्रमशः कुडूख, मुंडारी, नागपुरी एवं कुरमाली का 01–01 पद माना गया है। तदोपरान्त झारखण्ड सरकार मानव संसाधन विकास विभाग के अधिसूचना सं0–38 दिनांक–15.01.2011 द्वारा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विभाग के अंतर्गत सभी 09(नौ) भाषाओं यथा– कुडूख, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा एवं पंचपरगनिया में एक–एक सहायक प्राध्यापक का पद सृजित किया गया है।

3. प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा परिचालन के माध्यम से की गयी अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद् की दिनांक–01.03.2019 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–23 के रूप में प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग को विकसित कर अंतराष्ट्रीय स्तर के उतकृष्ट शिक्षण केन्द्र (Centre of excellence) के रूप में विकसित करने हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अतंर्गत कुडूख, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा एवं पंचपरगनिया भाषा हेतु निम्नांकित अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	पूर्व से सृजित पद	अतिरिक्त सृजित पद	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	8
i.	प्रोफेसर	37400-67000 AGP 10000	कुडूख–00 मुंडारी–01 नागपुरी–00 हो–00 खड़िया–00 संथाली–00 कुरमाली–00 खोरठा–00 पंचपरगनिया–00	कुडूख–01 मुंडारी–00 नागपुरी–01 हो–01 खड़िया–01 संथाली–01 कुरमाली–01 खोरठा–01 पंचपरगनिया–01	1.सह–प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक की सीधी नियुक्ति राज्य सरकार के स्टैच्यूट के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा किया जायेगा। 2.शिक्षक संवर्ग के पदों हेतु मानव संसाधन विकास विभाग (तत्कालीन) के संकल्प संख्या–1188 दिनांक–20.11.2010 द्वारा स्वीकृत वेतनमान / ग्रेड पे अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।
			कुल–01	कुल–08	
ii.	एसोसिएट प्रोफेसर	37400-67000 AGP 9000	कुडूख–01 मुंडारी–01 नागपुरी–00 हो–00 खड़िया–00 संथाली–00 कुरमाली–00 खोरठा–00 पंचपरगनिया–00	कुडूख–01 मुंडारी–01 नागपुरी–02 हो–02 खड़िया–02 संथाली–02 कुरमाली–02 खोरठा–02 पंचपरगनिया–02	
			कुल–02	कुल–16	
iii.	सहायक प्रोफेससर	15600-39100 AGP 6000	कुडूख–02 मुंडारी–02 नागपुरी–02 हो–01 खड़िया–01 संथाली–01 कुरमाली–02 खोरठा–01 पंचपरगनिया–01	कुडूख–00 मुंडारी–00 नागपुरी–00 हो–01 खड़िया–01 संथाली–01 कुरमाली–00 खोरठा–01 पंचपरगनिया–01	
			कुल–13	कुल–05	
		कुल	**16**	**29**	

4. इन पदों पर होने वाले व्यय का विकलन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट शीर्ष से किया जाएगा।

आदेशः— आदेश दिंया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/—
(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः—4/प.1—03/2018................../ राँची, दिनांक ..../
प्रतिलिपिः— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची/ई—गजट नोडल पदाधिकारी, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/—
(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः—4/प.1—03/2018................../ राँची, दिनांक ..../
प्रतिलिपिः— महालेखाकार, झारखण्ड, हिनू, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः—4/प.1—03/2018...559/ राँची, दिनांक ...8/3/19.../
प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड/सभी सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/19

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।